

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 5070/2025

प्रभु

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: आनंद कुमार पाण्डेय, धीरज यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. काफी देर तक विचार-विमर्श के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका को इस स्तर पर वापस लेने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की है, ताकि वे बेहतर विशिष्टियों और मामले के विवरण के साथ नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें।
2. उपर्युक्त प्रार्थना का कोई विरोध नहीं है।
3. इस प्रकार, वर्तमान रिट याचिका मांगी गई स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

वी.आर.